

प्रेषक,

डॉ० विनोदानंद झा,

निदेशक जन शिक्षा।

सेवा में,

सहायक निदेशक,

जन शिक्षा।

पटना, दिनांक

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद् में आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-04-प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0002-जन शिक्षा निदेशालय, विपत्र कोड संख्या-एन 2202040010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विषय शीर्ष-28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद् में अंकित राशि रू० 2,92,172/- (दो लाख बेरानवें हजार एक सौ बहत्तर रूपये) मात्र आपको निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्रमांक	कोड संख्या/ मद्	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	2,92,172	2,92,172
	कुल योग :-	0	2,92,172	2,92,172

तत्काल आवंटित राशि 2,92,172/- (दो लाख बेरानवें हजार एक सौ बहत्तर रूपये) मात्र।

- यह आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-1135 दिनांक-18.05.16 के आलोक में आवंटित किया जाता है।
- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016 एवं 2793 दिनांक-04.04.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
7. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहण्स्ताक्षरी को भेजी जाय।
10. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
11. आवंटित राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।
12. इस राशि से पूर्व का बकाया भुगतान किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(विनोदानंद झा),

निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक:- 35

पटना, दिनांक:- 24.05.2016

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन,
पटना/रोकड़पाल/लेखापाल/विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में)/अवर सचिव-सह-बजट
पदाधिकारी/प्रशाखा-05/गार्ड फाईल/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(विनोदानंद झा),

निदेशक, जन शिक्षा।

SN